

103/2014
पत्रांक-11 न0 वि0 अभि0 (को0) ~~74/2015~~ 106/ न0वि0 एवं आ0वि0
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम।
कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
दरभंगा।

पटना, दिनांक 24/8/18

विषय:- राज्य योजना अन्तर्गत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में मुहल्ला लक्ष्मीनगर वार्ड सं0-16 अन्तर्गत पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य के प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- नगर आयुक्त, नगर निगम दरभंगा का पत्रांक-256 दिनांक-22.01.2016
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से समर्पित विषयांकित योजना के तकनीकी स्वीकृत एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	पूर्व में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	पूर्व में प्रदत्त अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)	पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)
1.	राज्य योजना अन्तर्गत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में मुहल्ला लक्ष्मीनगर वार्ड सं0-16 अन्तर्गत पी0सी0सी0 पथ एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	123.55 (विभागीय पत्रांक-26 दिनांक-12.08.2015)	113.42 (विभागीय पत्रांक-508 दिनांक-21.03.2016)	123.55	1,08,05,515/- (विभागीय पत्रांक-508 दिनांक-21.03.2016)	1,22,65,659/-

अतः उक्त योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृत एवं अनुमोदित पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की एक-एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
20/8/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में मुहल्ला लक्ष्मीनगर वार्ड सं०-16 अन्तर्गत पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 1,23,55,000/- (एक करोड़ तेईस लाख पचपन हजार) रुपये मात्र। विभागीय पत्रांक-26 दिनांक-12.08.2015
- 3 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 1,23,55,000/- (एक करोड़ तेईस लाख पचपन हजार) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुसूचित प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें। कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्रियों की आपूर्ति ISI के Specification का होना चाहिए।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) पी०सी०सी० पथ कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould Cast करने के बाद Crushing Strength का Test अवश्य कर लेंगे।
(viii) पथ निर्माण कार्य में पथ के क्रष्ट में कैंबर का प्रावधान करेंगे ताकि पानी का जमाव पथ क्रष्ट पर ना हो।
(ix) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(x) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(xi) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(xii) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xiii) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।
(xiv) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं०-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xv) कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।
(xvi) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।